

दिल्ली विकास प्राधिकरण
(वित्त एवं व्यय)

सं. एफ.ई.5(35)2016/7 वी.सी.पी.सी./डी.डी.ए./360

दिनांक : 31.07.2017

वित्त एवं व्यय परिपत्र संख्या 14/2017

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश दिया जाता है कि संयुक्त सचिव भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन सं. 2/5/2017-ई. II (बी.) दिनांक 07 जुलाई, 2017, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता (एच.आर.ए.) प्रदान करने से संबंधित सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में है को इसी प्रकार से दि.वि.प्रा. में भी लागू किया जाएगा ।

ये आदेश उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. के अनुमोदन से जारी किए जाते हैं ।

संलग्नक: उपर्युक्तानुसार

(कल्पना मोंगिया)
वरिष्ठ लेखाधिकारी (वित्त एवं व्यय)

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. के विशेष कार्य अधिकारी को उपाध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ;
2. वित्त सदस्य/अभियंता सदस्य के निजी सचिव को वित्त सदस्य/अभियंता सदस्य के सूचनार्थ ;
3. सभी प्रधान आयुक्त/मुख्य सतर्कता अधिकारी/मुख्य विधि सलाहकार/मुख्य लेखा अधिकारी, दि.वि.प्रा.;
4. सभी आयुक्त/आयुक्त एवं सचिव/मुख्य अभियंता/मुख्य वास्तुकार/विभागाध्यक्ष;
5. वित्त सलाहकार (आवास)/निदेशक (भूमि लागत निर्धारण)/निदेशक (एम. एंड पी.) / निदेशक (वित्त)/लेखा-परीक्षा;
6. सभी उप मुख्य लेखा अधिकारी/उप वित्त सलाहकार (आवास)-I एवं II
7. सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारी/वरिष्ठ लेखा अधिकारी (खेल)/वेतन एवं लेखा अधिकारी (ई.डब्ल्यू.)/लेखा अधिकारी (प्रारंभिक अनुमान);
8. गार्ड फाइल ।

वरिष्ठ लेखा अधिकारी
(वित्त एवं व्यय)